GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE NO. 71/2000

No.E(P&A)II/98/RS-16 **New Delhi, dated 18-4-2000**

The General Managers,/ OSDs/CAO(R)'s
All Indian Railways.

Subject : Grant of Allowance in lieu of kilometreage to the Running staff kept unutilised on account of cancellation of train services.

Pursuant to the discussions held in a meeting in the forum of JCM/DC, it was decided by the Board in 1986 that in the event of gauge conversion which is an anticipated and planned activity necessitating curtailment of train services for a specific period, the running staff could be relieved of running duties and deployed or granted leave during the period of cancellation of trains. It was also decided therein that opportunities should also be taken to depute such staff for Refresher/Promotion and other courses, so that they may not lose their potential for earning allowance in lieu of kilometreage at headquarter or outstation rates, as the case may be, during such periods. Instructions were accordingly issued vide Board's letter No. E(P&A)II/83/RS-21 dated 20.10.1986.

/ in the PNM/AIRF

2. It has been brought to the notice of the Board / that during gauge conversion on a Railway, a large number of Running staff could not be utilised for the Running duty and also non-running duty. Except a few, the rest were not sent for any refresher course / training etc. and as such the staff concerned were idling.

3. The matter has been considered by the Board who have desired attention of the Railways being drawn again to the above mentioned instructions of 20-10-1986. Accordingly Board desire that in the event of gauge conversion, the following action should invariably be taken by the Railway Administrations :-

(i) The gauge conversion being an anticipated and planned activity, necessitating curtailment of train services for a specific period, the running staff should be relieved of running duties and should be deployed or granted leave during the period of cancellation of trains.

(ii) Opportunities should also be taken to depute them for Refresher/Promotion and other courses, so that they may not lose their potential for earning allowance, in lieu of kilometreage at headquarter or outstation rates, as the case may be, during such periods

4. The receipt of this letter may please be acknowledged.

(K.J. Abraham)
Joint Director, Establishment(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/RS-16 New Delhi, dated 18 -4-2000.

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways & Prod. Units.

(K.J.Abraham)
Joint Dir/Estt (P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/RS-16 New Delhi, dated 18-4 -2000.

Copy (with 40 spares) forwarded to the DAI (Railways), N.Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)II-98/RS-16 New Delhi, dated 18-4-2000.

Copy forwarded to the Federations etc.

for Secretary/Railway Board.

Copy to : PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MOS(R), CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, AM(F), AM(S), AM(.MECH), AM(PU&WT), AM(MS), OSD/Acts, OSD/Works, OSD/Traffic, OSD/Elect, OSD/Mech, OSD/GA, OSD/LM, OSD/Safety, OSD/MIS&ER, Secy., EDE, EDPC-I, EDPC-II, EDME(W), ED(S&T), ED(S&E), EDE(IR), EDE(RRB), JS, DF(E), DPC, JDE(P&A), JDPC, JDE(L), JDE(LL), JDE(W), JDF(E), DS(G), US(A), DDE(LR)I/II, DDPC-V, DDE(R)II(with 2 spares).

Branches : Cash-I, Cash-II, Cash-III, Cash-IV, F(E)I, F(E)II, F(E)III, F(E)Spl., Acts-III (with 10 spares) ERB-I, ERB-II, E(RB)III, E(LR)I, E(LR)II, E(LR)III, E(W), E(NG)I, E(NG)II, E(MPP), E(REP)I, E(REP)II, E(REP)III, PC-III, PC-IV, PC-V & E(P&A)I.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 71/2000

सं. ई(पी एंड ए)2/98/आरएस-16

नई दिल्ली, दिनांक: 18-4-2000

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें.

विषय:- गाड़ी सेवाएं रद्द होने के कारण काम में नहीं लाए गये रनिंग कर्मचारियों को किलोमीटरेज के बदले में भत्ता प्रदान करना.

संयुक्त वार्ता तंत्र/विभागीय परिषद की बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसार बोर्ड द्वारा 1986 में यह निर्णय लिया गया था कि आमान परिवर्तन का कार्य होने पर जो कि एक प्रत्याशित तथा योजनाबद्ध कार्यकलाप है, विशिष्ट अवधि के लिए गाड़ी सेवाओं में कटौती करना आवश्यक है. गाड़ियों के रद्द किए जाने की अवधि के दौरान रनिंग कर्मचारियों को रनिंग ड्यूटियों से कार्यमुक्त करके कहीं और तैनात किया जा सकता है अथवा छुट्टी प्रदान की जा सकती है. यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसे कर्मचारियों को पुनश्चर्या/पदोन्नति तथा अन्य पाठ्यक्रमों पर भेजा जाए ताकि वे ऐसी अवधि के दौरान मुख्यालय अथवा आउटस्टेशन दरों (जैसा भी मामला हो), किलोमीटरेज के बदले भत्ते से वंचित न रहें. तदनुसार बोर्ड के दिनांक 20.10.1986 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)2/83/आर एस-21 द्वारा अनुदेश जारी किये गये थे.

2. (पी.एन.एम./ए.आई.आर.एफ. में) बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि एक रेलवे में आमान परिवर्तन के दौरान काफी संख्या में रनिंग कर्मचारियों को रनिंग ड्यूटी तथा गैर-रनिंग ड्यूटी के लिए भी काम पर नहीं लगाया जा सका था. कुछ को छोड़कर बाकी के कर्मचारियों को किसी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आदि पर नहीं भेजा गया था और इसलिए संबंधित कर्मचारी खाली थे.

3. बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है जिसने रेलों का ध्यान फिर से 20.10.1986 के उपर्युक्त अनुदेशों की ओर दिलाने की वांछा की है. तदनुसार बोर्ड चाहता है कि आमान परिवर्तन का कार्य होने पर रेलवे प्रशासनों द्वारा निरपवाद रूप से निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:-

(i) आमान परिवर्तन एक प्रत्याशित तथा योजनाबद्ध कार्यकलाप होने के कारण, जिसके लिए विशिष्ट अवधि के लिए गाड़ी सेवाओं की कटौती करना आवश्यक है, गाड़ियों के रद्द होने की अवधि के दौरान रनिंग कर्मचारियों को रनिंग ड्यूटियों से कार्यमुक्त करके कहीं और तैनात किया जाए अथवा उन्हें छुट्टी प्रदान की जाए.

-2/-

(2) उन्हें पुनश्चर्या/पदोन्नति तथा अन्य पाठ्यक्रमों पर [illegible] ताकि वे मुख्यालय अथवा आउटस्टेशन दरों पर जैसा भी मामला हो, [illegible] के बदले भत्ते से वंचित नहीं रहें.

4. कृपया इस पत्र की पावती दें.

के.जे. अब्राहम
(के. जे. अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्था (वे. एवं भ)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(पी एंड ए)2-98/आरएस-16 नई दिल्ली, दिनांक 18-4-2000

प्रतिलिपि वित्त एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों को प्रेषित

के.जे. अब्राहम
(के. जे. अब्राहम)
संयुक्त निदेशक/स्था (वे एवं भ)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(पी एंड ए)2-98/आरएस-16 नई दिल्ली, दिनांक 18-4-20

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एंड ए)2-98/आरएस-16 नई दिल्ली, दिनांक 18-4-2(

प्रतिलिपि फेडरेशनों आदि को प्रेषित.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.